न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1539–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–05–2015 पारित द्वारा तहसीलदार कालोरस जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 19/अ–12/2014–15.

1. श्रीमती कमला बाई पत्नी चन्द्रभान
2. भरत कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान
   निवासीगण जैन मंदिर रोड, कोलारस,
   तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. मयंक पुत्र श्री घनश्याम दास अग्रवाल
   निवासी ए0बी0 रोड कोलारस तहसील
   कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0
2. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जीतेन्द्र त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री अनिल श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6 फरवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार कालोरस जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष सर्वे कमांक 239 सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र

तहसीलदार करैरा को प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक सीमांकन उपरांत दिनांक 9–5–15 को सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रेषित किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 11–5–15 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 229 एवं 204 है तथा सर्वे कमांक 223, 227 एवं 228 शासकीय भूमियां हैं। राजस्व निरीक्षक ने आवेदकगण को बिना सूचना दिये सीमांकन करते हुये मुड्डिया गाड़ दी। राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये किये गये सीमांकन पर बिना आपत्ति का मौका दिये तहसीलदार ने उक्त सीमांकन की पुष्टि करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि सीमांकन में सर्वे कमांक 239 की नक्शा में दर्शाये गये आकृति के विपरीत किया जाकर आवेदकगण के सर्वे कमांक 229 एवं 204 का रकबा प्रभावित किया है तथाकथित सीमांकन नक्शा के अनुरूप न होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गई है। आवेदक का सर्वे कमांक 229 एवं 204 है तथा अनावेदक का सर्वे कमांक 239 है जिसका सीमांकन किया गयाहै। सर्वे कमांक 239 की सीमा आवेदक की भूमि से लगी नही है उनके बीच में सर्वे कमांक 228 का शासकीय नम्बर भी है। सरहदी कास्तकार न होने से सीमांकन के समय उसे सूचनादेना आवश्यक नहीं है। यह भी तर्क दिया कि सीमांकन के समय यदि आवेदक की भूमि पर मुड्डियां गाड़ी गई थी

तो उन्हें उसी समय आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदकगण द्वारा न तो सीमांकन के समय और न ही तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित है।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदकगण सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार नहीं है क्योंकि सीमांकित भूमि से लगी हुई सर्वे कमांक 223, 227, 228 शासकीय भूमि हैं, इसलिए आवेदक को सूचना नहीं दी गई। सीमांकन नियमों में सरहदी कास्तकारों को सूचना दिये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा सर्वे कमांक 239 का सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सर्वे कमांक 239 से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 228 शासकीय भूमि हैं। शासकीय भूमि सर्वे कमांक 228 से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 229 आवेदकगण की है। आवेदकगण सीमांकित भूमि का सरहदी कास्तकार नहीं है क्योंकि उसकी भूमि सीमांकित भूमि से लगी हुई नहीं है। चूंकि आवेदकगण सरहदी कास्तकार नहीं है इसलिए उसे सीमांकन की पूर्व सूचना नहीं दी गई। जहां तक आवेदकगण के इस तर्क का प्रश्न है कि सीमांकन दल द्वारा आवेदकगण की भूमि पर मुड्डिया गाड़ दी, मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि सीमांकित भूमि से लगी हुई भूमि शासकीय है। यदि आवेदकगण को सीमांकन से आपत्ति तो सीमांकन के समय अथवा तहसीलदार के समक्ष लिखित अथवा मौखिक आपत्ति कर सकता था। इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रतिवेदन में आवेदकगण का अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर अवैध कब्जे का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में

आवेदक के हित किस प्रकार इस सीमांकन से प्रभावित है, यह भी बतलाने में असमर्थ रहा है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार कोलारस का आदेश दिनांक 11–5–2015 यथावत रखा जाता है

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर